

राजस्थान सरकार  
राजस्व (गुप-6) विभाग

क्रमांक प.3 (17)राज.6/2021/93

जयपुर, दिनांक- 01/10/2021


अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15, वर्ष 1956) की धारा 26 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 260 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.3(17)राज-6/2021/88 दिनांक 30.09.2021 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "भू-अभिलेख अधिकारी अर्थात जिलाधीश" को अभिव्यक्ति "उपखण्ड अधिकारी" से प्रतिस्थापित की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(रामचरन शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
7. आयुक्त, भू-प्रबंध एवं जागीर, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निवन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक...01/10/2021...में प्रकाशन हेतु।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव